न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–93 / 2020 दायर दिनांकः 21.07.2020

GCMS NO:- 2020/00177

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. बंशी पुत्र राधाकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम देवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
2. भूमिधारी राजस्थान राज्य सरकार जर्ये जिला कलक्टर बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 09.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देवपुरा पटवार मण्डल कोलाहेडा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 161,167,171,175,215, 220,241,244,256,257,263,271,315,316,368,386 कुल किता 16 कुल रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि के खसरा संख्या 220 में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 211 / 419 सिवायचक भूमि के मध्य होकर निकल रहा था। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि उक्त रास्ता सरकारी भूमि पर होने के कारण गांव के व्यक्ति जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है। जिससे आये दिन रास्ते को लेकर विवाद होते रहते है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार खसरा संख्या 220 तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 211 / 419 सिवायचक में से रकबा 60 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 120 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–06 बीघा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में नीली स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 00–06 बीघा है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट कोलाहेडा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम देवपुरा पटवार मण्डल कोलाहेडा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी के खसरा संख्या 220 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 211 / 419 सिवायचक में से रकबा 60 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 120 वर्ग गठ्ठा= रकबा [illegible] जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता [illegible] में कायम किये जाने के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:59:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया ज़ाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालनय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:59:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner